रजिस्ट्री संख्या डी—(डी एन)—73

REGISTERED NO. D—(DN)—73

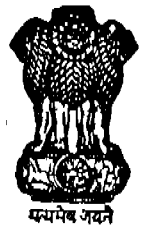

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 30] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 27, 1985 (श्रावण 5, 1907)
No. 30] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 27, 1985 (SRAVANA 5, 1907)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	547
भाग I—खण्ड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	925
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गये संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	—
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियां आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1001
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के विवरण तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपलब्धियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	25227
भाग III—खंड 2—पैटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस	579
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1629
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्ति और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	127
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़े को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	547
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	925
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4—Notification regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1001
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, by-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railways Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	25227
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	579
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1629
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	127
PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi .	*

Folio Nos. not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 जुलाई 1985

सं० 69-प्रेज/85—राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा बल के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री मोहन लाल, (मरणोपरान्त)
लांस नायक सं० 66788399,
53वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

श्री सतविन्द्र सिंह, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल सं० 79535007,
53वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

29 मई 1984 को सीमा सुरक्षा बल की 53वीं बटालियन के लांस नायक मोहन लाल और कांस्टेबल सतविन्द्र सिंह तीन कांस्टेबलों के साथ 18.30 बजे से 00.30 बजे तक गुरुद्वारा तरन तारन के निकट भान सिंह चौक के नाका स्थान पर ड्यूटी पर थे। लगभग 21 20 बजे कुछ उग्रवादी दरबार साहिब से बाहर आए और अचानक उन्होंने स्वचालित हथियारों से गोलियां चला कर नाका दल पर आक्रमण कर दिया। इसके परिणामस्वरूप लांस नायक मोहन लाल कांस्टेबल सतविन्द्र सिंह और नाका दल के अन्य सदस्य गम्भीर रूप से घायल हो गए। सदस्यों के गम्भीर रूप से घायल होने के बावजूद श्री मोहन लाल और सतविन्द्र सिंह ने समय नष्ट किए बिना साहस का परिचय देते हुए मोर्चा संभाला और उग्रवादियों का जवाब गोलियों से दिया। एक उग्रवादी मारा गया और कुछ उग्रवादियों को गंभीर चोटें आईं। श्री मोहन लाल और श्री सतविन्द्र सिंह के इस साहसिक कार्य के परिणामस्वरूप उग्रवादी दरबार साहिब में वापस भागने के लिए बाध्य हो गए। बाद में श्री मोहन लाल और श्री सतविन्द्र सिंह को एस० जी० टी० बी० अस्पताल अमृतसर ले जाया गया जहां जख्मों के कारण उनकी मृत्यु हो गयी।

इस प्रकार, श्री मोहन लाल, लांस नायक और श्री सतविन्द्र सिंह कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 29 मई 1984 से दिया जाएगा।

सं० 70-प्रेज/85—राष्ट्रपति असम पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री नबीन चन्द्र देव नाथ (मरणोपरान्त)
पुलिस सहायक उप निरीक्षक
माधापाड़ा पुलिस चौकी,
भागांव जिला (असम)।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

2 मार्च 1983 को घातक हथियारों से लैस बहुत से उपद्रवियों ने माधापाड़ा पुलिस चौकी के अन्तर्गत गांव पामिला पर हमला किया। उस समय श्री नबीन चन्द्र देव नाथ, पुलिस सहायक उप निरीक्षक, पुलिस चौकी में अकेले थे। जब वह सक्रिय ड्यूटी दे रहे थे तो एकत्र भीड़ ने पुलिस चौकी को चारों ओर से घेरकर उन पर आक्रमण कर दिया। भीड़ ने पुलिस चौकी को आग लगा दी और उसे पूर्णतः जला दिया। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की बिल्कुल परवाह न करते हुए श्री नबीन चन्द्र देव नाथ सरकारी सम्पत्ति के विनाश को रोकने के लिए उपद्रवियों के साथ वीरता से लड़े लेकिन इस दौरान वह घटनास्थल पर उपद्रवियों द्वारा मारे गए।

इस घटना में श्री नबीन चन्द्र देव नाथ, पुलिस सहायक उप निरीक्षक ने उत्कृष्ट साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 2 मार्च 1983 से दिया जाएगा।

सं० 71-प्रेज/85—राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री हरी सिंह, (मरणोपरान्त)
हेड कांस्टेबल सं० 70001081,
79 बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

4 जून, 1984, को सीमा सुरक्षा बल के कमान्डों ग्रुप को आतंकवादियों का सफाया करने के लिए अमृतसर में छुपी हुई क्षेत्र की छानबीन करने का कार्य सौंपा गया। 9 अधिकारियों और जवानों के साथ उप महानिरीक्षक (जी) के नेतृत्व में एक गश्ती दल को यह कार्य सौंपा गया। जब गश्ती दल गली को पार कर रहा था तो वह छुपी हुई क्षेत्र में स्वर्ण मन्दिर परिसर से लगे पास के एक गुरुद्वारे तथा मकान से आतंकवादियों द्वारा स्वचालित हथियारों से की गई भारी गोली बारी में घिर गया। गश्ती दल ने तुरन्त मोर्चा संभाला और बचाव के लिए रेंगना शुरू किया। हेड कांस्टेबल हरी सिंह, जो गश्ती दल के पीछे थे, को एक गोली लगी जो उनके शरीर में घुस गई। हालांकि वे गोली से गंभीर रूप से घायल हो गए फिर भी जवाब में वे उस मोर्चे की ओर गोलियां चलाते रहे जो उग्रवादियों ने संभाल रखा था। उनके साहसिक कार्य के परिणामस्वरूप गश्ती दल रेंगकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच सका। अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना वह अपने स्थान पर डटे रहे और अपने दल की सुरक्षा के लिए प्रभावी गोली बारी की। इस प्रकार उनका दल आतंकवादियों का सफाया करने के सौंपे गए कार्य को पूरा करने में सफल हुआ। बाद में उन्हें एस०जी०टी०बी० अस्पताल, अमृतसर ले जाया गया जहां जख्मों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। यदि हेड कांस्टेबल हरी सिंह ऐसी साहसी कार्रवाई नहीं करते तो सम्पूर्ण दल भारी संख्या में हताहत होता।

इस घटना में श्री हरी सिंह, हेड कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 4 जून 1984 से दिया जाएगा।

सं० 73-प्रेस/85—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री बृज मोहन मिश्रा,
पुलिस उप निरीक्षक,
जिला मुजफ्फरनगर।

श्री श्यामधन गुप्ता,
पुलिस उप निरीक्षक,
जिला मुजफ्फरनगर।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

8 अगस्त 1982 को सूचना मिली कि कुछ अपराधियों ने सवारियों को लूटने और उन्हें बाहर धकेलने के बाद एक कार अपने कब्जे में कर ली। उसके बाद अपराधी उसी कार में कांधला की ओर रवाना हो गए। सूचना मिलने पर श्री बृज मोहन मिश्रा, पुलिस उप निरीक्षक, उपलब्ध बल के साथ अपराधियों को रोकने के लिए वाहन में रवाना हुए। उन्होंने सड़क के बीच में जीप खड़ी कर दी। अपराधियों ने कार रोकी और पुलिस की जीप को सामने पाकर गोली चलायी। उसी समय, पुलिस उप निरीक्षक श्यामधन गुप्ता, जिन्हें अपराधियों की गतिविधियों की जानकारी थी, अपने स्टाफ के साथ वहां पहुंच गए और मुठभेड़ में शामिल हो गए। कुछ समय तक दोनों ओर से गोलियां चलीं और उसके परिणामस्वरूप दोनों पुलिस उप निरीक्षकों को चोटें आयीं और चार अपराधियों नामतः सत्यवान, सुरेन्द्र उर्फ पप्पू, राममूल तथा सुभाष कुमार की मृत्यु हो गयी।

इस मुठभेड़ में श्री बृज मोहन मिश्रा पुलिस उप निरीक्षक, तथा श्री श्यामधन गुप्ता, पुलिस उप निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस तथा उच्च कोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 8 अगस्त, 1982, से दिया जाएगा।

सु, नीलकण्ठन,
राष्ट्रपति का उप-सचिव

मंत्रिमण्डल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 जुलाई 1985

संकल्प

सं० 11011/9/85-प्रशा०-I—सरकार ने ऊर्जा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है, जो निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगा :—

(i) देश में ऊर्जा की स्थिति का विश्वव्यापी संदर्भ में निरन्तर पुनर्विलोकन करना और समाकलित एवं समन्वित आधार पर ऊर्जा के भावी विकल्प प्रस्तावित करना;

(ii) ऊर्जा के वाणिज्यिक और गैर-वाणिज्यिक स्रोतों सहित समाकलित ऊर्जा नीति तैयार करना और सभी क्षेत्रों में पूर्ति और मांग के प्रबन्ध के लिए प्रचालन व्यवस्था विकसित करना तथा ऊर्जा के प्रयोग की गहनता का सम्यक् ध्यान रखते हुए उद्योग, परिवहन आदि में प्रौद्योगिकी विकल्पों को देखते हुए उनके कार्यान्वयन का परिवीक्षण करना;

(iii) विभिन्न प्रकार की ऊर्जा की संभावित मांग और उपलब्धता का आवधिक मूल्यांकन करना और निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को इष्टतम आधार पर पूरा करने के लिए उचित व्यवस्थाएं सुझाना :—

(क) अपने स्रोतों के संरक्षण की आवश्यकता;

(ख) पर्यावरण संबंधी विचारण तथा;

(ग) तुलनात्मक लागतें और लाभ।

(iv) सभी ऊर्जा रूपों की, उनकी परस्पर उपलभ्यता, विकल्प लागतों और ऊर्जा के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए, मूल्य नीतियां प्रस्तावित करना।

(v) सभी स्तरों पर देश में ऊर्जा की स्थिति और उसकी संभावनाओं के बारे में जन-जागृति उत्पन्न करना।

2. उपर्युक्त जिम्मेदारियों को निभाने के लिए बोर्ड—

(i) निम्नलिखित क्षेत्रों की विशिष्ट और पूर्व-निर्धारित समस्याओं के बारे में नीति संबंधी समाधान सुझाने हेतु विशिष्ट प्रकार के अनुप्रयोगमूलक अध्ययनों को प्रायोजित करना :—

(क) ऊर्जा संरक्षण;

(ख) ऊर्जा उत्पादन; तथा

(ग) खपत, खासतौर से वहां जहां समस्याओं में एक से अधिक विभाग/विषय की कार्रवाई निहित हो।

(ii) विभिन्न ऊर्जा रूपों से प्रत्यक्षतः संबंधित विभागों के, सैद्धांतिक प्रोत्साहन के रूप में मात्रापरक माडलों पर आधारित प्रचालन कार्य के लिए योजना आयोग के परामर्श से समयबद्ध अवधि में ऊर्जा के उत्पादन और खपत के लिए इष्टतम योजनाएं तैयार करना; और

(iii) मौजूदा नीतियों में गलत अथवा अशुद्ध दृष्टिकोणों का, उनमें अशुद्धि की मात्रा का तथा अध्ययन रिपोर्टों में उनके निहितार्थों का पता लगाना तथा वैकल्पिक दृष्टिकोण सुझाना।

गठन

3. बोर्ड में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :—

1. श्री बी० बी० वोहरा, आई० ए० एस० (सेवानिवृत्त)	अध्यक्ष
2. श्री सी० आर० जगन्नाथन (भूतपूर्व मु० प्र० नि०, आयल इण्डिया लि०)	सदस्य
3. श्री आर० एन० शर्मा (उपाध्यक्ष, टी० आई० एस० सी० ओ०)	सदस्य
4. श्री ए० के० साहू (अध्यक्ष, यू० पी० राज्य विद्युत बोर्ड)	सदस्य
5. श्री प्रकाश नारायण (अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड)	सदस्य
6. श्री के० रामचन्द्रन (आटोमोटिव रिसर्च इन्स्टीट्यूट भारत, पुणे)	सदस्य
7. डा० कमला चौधरी	सदस्य
8. डा० आर० के० पचौरी (निदेशक, टाटा एनर्जी रिसर्च इन्स्टीट्यूट)	सदस्य
9. डा० टी० एस० शंकर, (प्रमुख सचिव, उद्योग, आन्ध्र प्रदेश प्रशासन)	सदस्य
10. श्री रतन टाटा	सदस्य
11. श्री सुन्दर लाल बहुगुणा (गढ़वाल, यू० पी०)	सदस्य

12. सचिव, योजना आयोग (पदेन)	सदस्य
13. सदस्य सचिव, ऊर्जा सलाहकार बोर्ड (पदेन)	सदस्य

4. बोर्ड सरकार की स्वीकृति से विशेषज्ञों, सलाहकारों और संस्थानों से सहायता प्राप्त कर सकेगा और जहां आवश्यक होगा नामिकाओं का गठन भी कर सकेगा।

5. बोर्ड को मंत्रिमण्डल सचिवालय द्वारा सेवा प्रदान की जाएगी। बोर्ड का मुख्यालय दिल्ली में होगा।

6. बोर्ड के कार्य सलाहकारी प्रकृति के होंगे और बोर्ड अपनी रिपोर्टें प्रधानमंत्री को प्रस्तुत करेगा।

7. बोर्ड की अवधि 1 जुलाई, 1985 से 3 वर्ष की होगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयो/विभागों तथा अन्य सभी संबंधितों को भेजी जाए।

अनिल कुमार, संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 27 जून 1985

संकल्प

सं० 1/20017/1/85-रा० भा० (क-1)—भारत सरकार ने केन्द्रीय हिंदी समिति का पुनर्गठन करने का निश्चय किया है।

इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1. प्रधान मंत्री	अध्यक्ष
2. गृह मंत्री	सदस्य
3. वित्त मंत्री	सदस्य
4. शिक्षा मंत्री	सदस्य
5. विधि मंत्री	सदस्य
6. मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश	सदस्य
7. मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश	सदस्य
8. मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र	सदस्य
9. मुख्य मंत्री, गुजरात	सदस्य
10. मुख्य मंत्री, उड़ीसा	सदस्य
11. मुख्य मंत्री, कर्नाटक	सदस्य
12. सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री	सदस्य
13. संचार राज्य मंत्री	सदस्य
14. विदेश राज्य मंत्री	सदस्य
15. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और महा सागर विकास विभाग/परमाणु ऊर्जा/अंतरिक्ष और इलैक्ट्रानिकी में राज्य मंत्री	सदस्य
16. पर्यटन और नागर विमानन राज्य मंत्री	सदस्य
17. गृह राज्य मंत्री (एस०)	सदस्य
18. गृह राज्य मंत्री (के०)	सदस्य
19. श्री हरद्वारी लाल, संसद सदस्य	सदस्य
20. श्रीमती वासव राजेश्वरी, संसद सदस्य	सदस्य
21. डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी, संसद सदस्य	सदस्य
22. श्री रामचन्द्र विकाल, संसद सदस्य	सदस्य
23. डा० रुद्र प्रताप सिंह, संसद सदस्य	सदस्य
24. श्री श्रीकान्त वर्मा, संसद सदस्य	सदस्य
25. श्री बी० वी० देसाई, संसद सदस्य	सदस्य
26. श्री एम० के० वेलायुधन नायर	सदस्य
27. श्री युगल किशोर चतुर्वेदी	सदस्य
28. श्री शंकर राव लोढ़े	सदस्य
29. श्री विनोद कुमार मिश्र	सदस्य
30. श्री डी० पी० पटनायक	सदस्य
31. श्री आर० पी० पाण्डे	सदस्य
32. डा० सरीगु कृष्णामूर्ति	सदस्य
33. प्रो० गोपीनाथ तिवारी	सदस्य
34. श्री वे० राधाकृष्णमूर्ति	सदस्य
35. श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह	सदस्य
36. प्रो० सी० जी० राजगोपाल	सदस्य
37. सचिव, राजभाषा विभाग एवं भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार।	सदस्य-सचिव

2. यह समिति हिन्दी के विकास और प्रसार के विषय में तथा सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे तथा कार्यक्रमों का समन्वय करेगी।

3. अपने काम के निष्पादन में सहायता देने के लिए समिति को आवश्यकतानुसार उप-समितियां नियुक्त करने और अतिरिक्त सदस्य सहयोजित करने का अधिकार होगा।

4. समिति के कार्यकाल की अवधि उसके पुनर्गठन की तारीख से तीन वर्ष होगी।

5. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों, राष्ट्रपति के सचिवालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, योजना आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, केन्द्रीय राजस्व के महालेखाकार, लोक सभा सचिवालय और राज्य-सभा सचिवालय को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण के सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

देवेन्द्र चरण मिश्र, संयुक्त सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 जून 1985

संकल्प

सं० ई०-11014/1/82-हिन्दी—रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तारीख 21 जुलाई 1983 के समसंख्यक संकल्प के क्रम में भारत सरकार ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति में निम्नलिखित सांसद को सदस्य के रूप में शामिल करने का निश्चय किया है :—

श्री मनोज कुमार पाण्डे,
संसद सदस्य, लोक सभा,
नई दिल्ली।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, और संघीय क्षेत्रों के प्रशासकों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, संसदीय राजभाषा समिति, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और रसायन और उर्वरक मंत्रालय के वेतन एवं लेखा कार्यालय और इसके नियंत्रणाधीन सभी सरकारी उपक्रमों/संबद्ध कार्यालयों/अधीनस्थ कार्यालयों को भेजी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जन साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए।

के० पी० श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 जून 1985

संकल्प

सं० ई०-11015 (1)/85-हिंदी--भारत सरकार ने इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति को पुनर्गठित करने का निश्चय किया है। इस समिति का गठन, कार्य आदि निम्नानुसार होंग :—

1. गठन

1. इस्पात, खान और कोयला मंत्री	अध्यक्ष
2. इस्पात विभाग में राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष
गैर-सरकारी सदस्य	
3. श्री जनकराज गुप्ता, संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
4. श्री उत्तम राठौर, संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
5. श्री पी० एल० खण्डेलवाल, संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
6. श्री रामचन्द्र भारद्वाज, संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
7. रिक्त संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य जिन्हें अभी नामित किया जाना है	सदस्य
8. रिक्त संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य जिन्हें अभी नामित किया जाना है।	सदस्य
9. श्री जगन्नाथ मिश्र, भूतपूर्व संसद सदस्य, गांव तथा डा० सुबै रतौली (थाना घोघरडीहा) जिला मधुबनी (बिहार)	सदस्य
10. श्री कामेश्वर प्रसाद अग्रवाल, एडवोकेट 8 महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद	सदस्य
11. श्री शंकर राव लौढ़े, मंत्री राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा-442003 (महाराष्ट्र)	सदस्य
12. श्री तरुण विजय, वनवासी कल्याण आश्रम, सूर्य निकेतन, दादरा एवं नगर हवेली, सिलवासा-396230	
13. ऋषि मामचंद कौशिक, संपादक, अजन्ता, हाई कोर्ट रोड, हैदराबाद।	
14. डा० एन० ई० विश्वनाथ अय्यर, (अवकाश प्राप्त प्राचार्य तथा विभागाध्यक्ष) हिंदी विभाग, केरल विश्वविद्यालय, 26/2305, ट्यूटर्स लेन, तिरुवनन्तपुरम-695001	

सरकारी सदस्य

15. सचिव (इस्पात)	सदस्य
16. सचिव (खान)	सदस्य
17. सचिव (कोयला)	सदस्य
18. सचिव (राजभाषा विभाग)	सदस्य
19. संयुक्त सचिव (हिंदी) खान विभाग	सदस्य
20. संयुक्त सचिव (हिंदी) कोयला विभाग	सदस्य
21. संयुक्त सचिव (राजभाषा विभाग)	सदस्य
22. लोहा तथा इस्पात नियंत्रक, कलकत्ता	सदस्य
23. अध्यक्ष, स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि०	सदस्य
24. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ज नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद	सदस्य
25. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मेटलर्जीकल इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड	सदस्य
26. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	सदस्य
27. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मैंगनीज ओर इंडिया लि०, नागपुर	सदस्य
28. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारत रिफ्रैक्टरीज लि०, बोकारो	सदस्य
29. महानिदेशक, भारतीय भूसर्वेक्षण, कलकत्ता	सदस्य
30. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारत अल्यूमिनियम कंपनी, नई दिल्ली	सदस्य
31. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिन्दुस्तान कापर लि०, कलकत्ता	सदस्य
32. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिन्दुस्तान जिंक लि०, उदयपुर	सदस्य
33. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खनिज गवेषण निगम लि०, नागपुर	सदस्य
34. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कोल इंडिया लि०, कलकत्ता।	सदस्य
35. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लि०, रांची	सदस्य

36. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वेस्टर्न कोल फील्ड्स लि०, नागपुर — सदस्य

37. संयुक्त सचिव (हिंदी), इस्पात विभाग — सदस्य सचिव

II. कार्य

इस समिति का कार्य सरकारी कार्यों म हिन्दी के प्रयोग से सम्बन्धित मामलों में मंत्रालय को सलाह देना होगा।

III. कार्य अवधि :

समिति का कार्यकाल, निम्नलिखित व्यवस्था के साथ, उसके गठन की तारीख से तीन वर्ष होगा :—

(क) समिति में नामजद संसद सदस्य जैसे ही संसद सदस्य नहीं रहेंगे तभी इस समिति के सदस्य भी नहीं रहेंगे।

(ख) अवधि के बीच में रिक्त हुआ स्थान सम्बन्धित सदस्य के स्थान पर उसके पद पर आने वाले अधिकारी से भरा जाएगा और यह अधिकारी तीन वर्ष की अवधि के बकाया समय के लिए सदस्य होगा।

IV. विविध

(क) समिति आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित कर सकेगी और अपनी बैठकों में भाग लेने के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगी।

(ख) समिति का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में होगा लेकिन समिति अपनी बैठकें किसी अन्य नगर में भी कर सकती है।

(ग) समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर यात्रा और दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस प्रस्ताव की प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रदेश के प्रशासकों, प्रधान मंत्री का कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसद कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

प्र० रामस्वामी, संयुक्त सचिव

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय

औद्योगिक विकास विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 1985

आदेश

सं० 14 (8)/84—कागज—केन्द्रीय सरकार, कागज (उत्पादन का विनियमन) आदेश, 1978 के खंड 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स पुनालूर पेपर मिल्स, पुनालूर, केरल को, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त मिल को ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों में भारी वित्तीय हानि हुई है, उक्त आदेश के खंड 3 की अपेक्षाओं के लिए 1 अक्तूबर 1984 से प्रारम्भ होने वाली और 30 सितम्बर, 1985 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए छूट देती है।

जी० सुन्दरम, अवर सचिव

विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 1985

संकल्प

सं० 1(1)/85—लघु उद्योग बोर्ड—भारत सरकार, लघु उद्योग बोर्ड का पुनर्गठन निम्न प्रकार से करती है :—

अध्यक्ष

1. उद्योग एवं कम्पनी कार्य मंत्री, भारत सरकार

सदस्य

2. वाणिज्य मंत्री, भारत सरकार
3. रसायन एवं उर्वरक मंत्री, भारत सरकार
4. इस्पात, खान एवं कोयला मंत्री, भारत सरकार
5. पैट्रोलियम राज्य मंत्री, भारत सरकार
6. उद्योग राज्य मंत्री, भारत सरकार
7. ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, भारत सरकार
8. सदस्य (उद्योग), योजना आयोग
9. श्री पी० ए० संगमा, वाणिज्य राज्य मंत्री, भारत सरकार
10. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
11. सचिव (आपूर्ति), वस्त्र एवं आपूर्ति मंत्रालय, भारत सरकार
12. सचिव (इस्पात), इस्पात, खान एवं कोयला मंत्रालय, भारत सरकार
13. सचिव (बैंकिंग), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
14. लघु उद्योगों के प्रभारी मंत्री, आन्ध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद
15. लघु उद्योगों के प्रभारी मंत्री, असम सरकार, दिसपुर
16. लघु उद्योगों के प्रभारी मंत्री, बिहार सरकार, पटना
17. लघु उद्योगों के प्रभारी मंत्री, गुजरात सरकार, अहमदाबाद

18. लघु उद्योगों के प्रभारी मंत्री,
हरियाणा सरकार,
चण्डीगढ़

19. लघु उद्योगों के प्रभारी मंत्री,
हिमाचल प्रदेश सरकार,
शिमला

20. लघु उद्योगों के प्रभारी मंत्री,
जम्मू एवं काश्मीर सरकार,
श्रीनगर

21. लघु उद्योगों के प्रभारी मंत्री,
कर्नाटक सरकार,
बंगलौर

22. लघु उद्योगों के प्रभारी मंत्री,
केरल सरकार,
त्रिवेन्द्रम

23. लघु उद्योगों के प्रभारी मंत्री,
मध्य प्रदेश सरकार
भोपाल

24. लघु उद्योगों के प्रभारी मंत्री,
महाराष्ट्र सरकार,
बम्बई

25. लघु उद्योगों के प्रभारी मंत्री,
मणिपुर सरकार,
इम्फाल

26. लघु उद्योगों के प्रभारी मंत्री,
मेघालय सरकार,
शिलांग

27. लघु उद्योगों के प्रभारी मंत्री,
नागालैंड सरकार,
कोहिमा

28. लघु उद्योगों के प्रभारी मंत्री,
उड़ीसा सरकार
भुवनेश्वर

29. लघु उद्योगों के प्रभारी मंत्री
पंजाब सरकार,
चण्डीगढ़

30. लघु उद्योगों के प्रभारी मंत्री,
राजस्थान सरकार,
जयपुर

31. लघु उद्योगों के प्रभारी मंत्री
सिक्किम सरकार,
गंगटोक

32. लघु उद्योगों के प्रभारी मंत्री,
तमिलनाडु सरकार,
मद्रास

33. लघु उद्योगों के प्रभारी मंत्री,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ

34. लघु उद्योगों के प्रभारी मंत्री,
पश्चिम बंगाल सरकार,
कलकत्ता

35. लघु उद्योगों के प्रभारी मंत्री,
त्रिपुरा सरकार,
अगरतला

36. लघु उद्योगों के प्रभारी मंत्री,
गोवा दमन एवं दिउ सरकार,
पणजी

37. लघु उद्योगों के प्रभारी मंत्री,
मिजोरम सरकार,
ऐजवाल

38. लघु उद्योगों के प्रभारी मंत्री,
अरुणाचल प्रदेश सरकार,
ईटानगर

39. लघु उद्योगों के प्रभारी मंत्री,
पांडिचेरी सरकार,
पांडिचेरी

40. मुख्य कार्यकारी पार्षद,
दिल्ली प्रशासन,
दिल्ली

41. उप राज्य पाल,
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
पोर्ट ब्लेयर

42. मुख्य आयुक्त,
चण्डीगढ़ प्रशासन,
चण्डीगढ़

43. प्रशासक,
दादरा एवं नगर हवेली,
सिलवासा

44. प्रशासक,
लक्षद्वीप,
कवारत्ती, एच० पी० ओ० कालीकट

45. राज्यपाल,
भारतीय रिजर्व बैंक,
5 कारूमिचेल रोड,
बम्बई–26

46. अध्यक्ष,
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक,
नरिमन भवन,
227, विनय के० शाह मार्ग,
नरिमन प्वायंट,
बम्बई

47. अध्यक्ष,
भारतीय स्टेट बैंक,
केन्द्रीय कार्यालय,
न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग,
मदामे कामा रोड़,
बम्बई–400 021

48. अध्यक्ष,
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक,
पूनम चैम्बर, शिवासागर एस्टेट, डा० एनी बेसेन्ट रोड़,
बम्बई–400 018

49. अध्यक्ष,
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम
बैंक आफ बड़ौदा बिल्डिंग,
16, संसद मार्ग,
नई दिल्ली–110 001

50. अध्यक्ष
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि०,
ओखला औद्योगिक बस्ती,
नई दिल्ली

51. अध्यक्ष,
भारतीय राज्य व्यापार निगम लि०,
चन्द्रलोक बिल्डिंग,
36—जनपथ,
नई दिल्ली—110001

52. अध्यक्ष,
भारतीय खनिज व धातु व्यापार निगम लि०,
एक्सप्रेस बिल्डिंग,
बहादुर शाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली—110 002

53. अध्यक्ष,
खादी व ग्रामीण उद्योग आयोग
ग्रामोदय,
3—इरला रोड, विले पारले (पं०),
बम्बई- 400 056

54. विकास आयुक्त,
हस्तकला,
वेस्ट ब्लाक—11, आर० के० पुरम,
नई दिल्ली—110021

55. विकास आयुक्त (हथकरघा),
वाणिज्य मंत्रालय,
वस्त्र विभाग,
उद्योग भवन,
नई दिल्ली—110 011

56. अध्यक्ष,
भारतीय लघु उद्योग निगम परिषद,
फ्लैट सं० 910, पदमा टॉवर
राजेन्द्र प्लेस,
नई दिल्ली

57. अध्यक्ष,
फैडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ स्माल
इण्डस्ट्रीज ऑफ इण्डिया (फेसी०),
23—जी/2, गुरु गोबिन्द सिंह मार्ग,
नई दिल्ली—110 005

58. अध्यक्ष,
इण्डियन काउंसिल ऑफ स्माल इण्डस्ट्रीज
33—डिप्टी गंज,
दिल्ली

59. अध्यक्ष,
नेशनल अलाइंस ऑफ यंग एन्टरप्रिन्यर्स,
301—302, सरस्वती भवन,
27, नेहरू प्लेस,
नई दिल्ली ।

60. अध्यक्ष,
फेडरेशन ऑफ इण्डियन चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इण्डस्ट्री,
तानसेन मार्ग,
नई दिल्ली

61. अध्यक्ष,
अखिल भारतीय निर्माता संगठन,
जीवन सहकार,
सर पी० एम० रोड,
बम्बई

62. श्री एन० डेनीस,
सदस्य लोक सभा,
182, नार्थ एवेन्यू,
नई दिल्ली

63. श्री विजय एन० पाटिल,
सदस्य लोक सभा
23 अशोका रोड,
नई दिल्ली

64. श्री दुर्गा दास जामुदा,
सदस्य राज्य सभा
32, साउथ एवेन्यू,
नई दिल्ली

65. श्री अच्छे लाल बालमिकी,
सदस्य राज्य सभा,
35, साउथ एवेन्यू,
नई दिल्ली

66. अध्यक्ष,
बिहार स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन,
204—नीलगिरी भवन,
बोरिंग केनाल रोड,
पटना (बिहार)

67. अध्यक्ष,
गुजरात स्टेट स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज फेडरेशन,
गन हाउस, खानपुर,
अहमदाबाद

68. अध्यक्ष,
केरल स्टेट स्माल इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन,
उत्तरा बिल्डिंग, करक्कत रोड,
कोचीन- 682 016

69. अध्यक्ष,
तमिलनाडु स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन,
10, जी० एस० टी० रोड,
गिन्डी, मद्रास

70. अध्यक्ष,
महाराष्ट्र स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन,
बम्बई

71. अध्यक्ष,
दि फेडरेशन ऑफ पंजाब स्माल इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन,
21, रोशन मार्किट, जी० टी० रोड,
मिलरगंज, लुधियाना

72. अध्यक्ष,
फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ स्माल इण्डस्ट्रीज
ऑफ राजस्थान,
राजस्थान चैम्बर ऑफ कामर्स भवन,
मिर्जा इस्माइल रोड,
जयपुर

73. अध्यक्ष,
उड़ीसा स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन,
औद्योगिक बस्ती,
कटक-753 010

74. अध्यक्ष,
कर्नाटक स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन,
11-ए, जयाचाम-राजेन्द्र रोड़,
बंगलूर-560002

75 अध्यक्ष,
फेडरेशन आफ एसोसिएशन आफ कॉटेज एंड स्माल इण्डस्ट्रीज,
21-1-1, क्रीक रो,
कलकत्ता-14

76. अध्यक्ष,
गोहाटी इण्डस्ट्रियल एस्टेट एसोसिएशन,
औद्योगिक बस्ती,
गोहाटी-781 021

77. अध्यक्ष,
एसोसिएशन आफ स्माल इण्डस्ट्रीज मध्य प्रदेश,
औद्योगिक बस्ती, पोलोग्राउण्ड,
इन्दौर-452 003

78. अध्यक्ष,
आन्ध्र प्रदेश स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन,
औद्योगिक एस्टेट,
विजयवाड़ा (आ० प्र०)

79. अध्यक्ष,
जम्मू व काश्मीर स्माल इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन,
श्रीनगर,

80. विकास आयुक्त (लघु उद्योग) तथा
पदेन अपर सचिव,
उद्योग मंत्रालय,
भारत सरकार — सदस्य सचिव

2. पुनर्गठित बोर्ड का कार्य, लघु उद्योगों की विकास सम्बन्धी नीति के सभी मामलों पर सरकार को सलाह देना है।

3. बोर्ड को विशेष उद्देश्यों के लिए समितियां नियुक्त करने की शक्तियां होंगी। जब कभी आवश्यक होगा, इसे बोर्ड की बैठकों में व्यक्तियों को आमंत्रित करने की भी शक्तियां होंगी।

4. लघु उद्योग बोर्ड की अवधि इस अधिसूचना की तारीख से 2 वर्ष होगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति, सभी संबंधितों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना हेतु, संकल्प को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

के० सी० माथुर, निदेशक (लघु उद्योग बोर्ड)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 जुलाई, 1985

सं० डब्ल्यू०-11011/1/80-अनुदान (वाल्यूम-2)—स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की 9-3-84 और 21-6-84 की अधिसूचना संख्या डब्ल्यू०-11011/1/80-अनुदान के संदर्भ में भारत सरकार ने डा० गोविन्द दास रिसारिया संसद सदस्य (राज्य सभा) और डा० पी० वल्लाल पेरुमन, संसद सदस्य (लोक सभा) को श्री एम० मौसिस संसद सदस्य (राज्य सभा) और श्री टी० एम० सावन्त, संसद सदस्य (लोक सभा) के स्थान पर, जो अब संसद सदस्य नहीं रहे हैं, अनुदान समिति के सदस्यों के रूप में शामिल करने का निर्णय किया है।

2. इसके परिणाम स्वरूप अनुदान समिति का गठन इस प्रकार होगा :—

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री	अध्यक्ष
डा० गोविन्द दास रिछारिया, संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
डा० पी० वल्लाल पेरुमन, संसद सदस्य, लोक सभा	सदस्य
श्री एस० एम० शाह	सदस्य
डा० वात्सल सामन्त	सदस्य
श्री जी० वी० माने	सदस्य
श्रीमती रेणुका अप्पादुराई	सदस्य
श्री एम० पी० केशवमूर्ति	सदस्य
श्री करम चन्द शेनमार	सदस्य
श्री स्वप्न साधन बोस	सदस्य
सचिव, स्वास्थ्य और प० क० मंत्रालय	सदस्य
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक	सदस्य
स्वास्थ्य मंत्रालय में अनुदानों से सम्बद्ध संयुक्त सचिव	सदस्य-सचिव

3 गैर सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ते/महंगाई भत्ते पर होने वाला व्यय मांग संख्या 43 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मुख्य शीर्ष 276-ए (सचिवालय ए-1 (1)—स्वास्थ्य विभाग ए-1 (1) (3) यात्रा व्यय में से किया जाएगा।

4. वर्तमान समिति की अवधि आरम्भ में 8 मार्च, 1986 तक होगी। और यह अवधि समय-समय पर बढ़ाई जा सकती है।

5. समिति से सम्बद्ध अन्य उपबन्धों में जो 9-3-84 की उक्त अधिसूचना में उल्लिखित हैं, कोई परिवर्तन नहीं आएगा।

डा० आर० एन० गुप्ता, अवर सचिव

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 जुलाई 1985

आदेश

सं० 43-28/74-एल० डी० टी०—केन्द्रीय कुक्कुट विकास सलाहकार परिषद के पुनर्गठन से संबंधित इस मंत्रालय के संकल्प सं० 43-28/74-एल० डी० टी० दिनांक 27-5-85 के क्रम में ठाकुर कमख्या प्रसाद सिंह, सदस्य, राज्य सभा को परिषद की शेष अवधि के लिए अर्थात् 14-5-88 तक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नामजद किया गया है।

बी० एस० सराव, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 1985

संकल्प

सं० 1-16/85-एस० सी० (टी०)—भारत सरकार ने झूम खेती, जो कि 13 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों के आदिवासी क्षेत्रों में प्रचलित है, की विशेष समस्या को देखते हुए 1976 में झूम खेती के नियंत्रण के लिए एक बोर्ड का गठन किया था (देखिए संकल्प संख्या

19-11/75-एस० सी० (टी०) तारीख 22 जून, 1976), ताकि झूम खेती के नियंत्रण की योजनाओं के आयोजन तथा क्रियान्वयन की समीक्षा की जा सके।

2. इस मंत्रालय के उपरोक्त संकल्प संख्या 19-11/75-एस० सी० (टी०) तारीख 22 जून, 1976 तथा तत्पश्चात् 29-10-1976 और 6-12-1977 को जारी समसंख्यक परिशिष्ट और शुद्धि पत्र का अतिक्रमण करते हुए, झूम खेती नियंत्रण बोर्ड के सदस्य और कार्य निम्न प्रकार होंगे :—

सदस्यता

1. सचिव (कृषि और सहकारिता), कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय	अध्यक्ष
2. विशेष सचिव तथा वन महानिरीक्षक, वन और वन्य जीव विभाग	सदस्य
3. अपर सचिव, प्रभारी मृदा संरक्षण कृषि और सहकारिता विभाग	सदस्य
4. सलाहकार (कृषि), योजना आयोग	सदस्य
5. संयुक्त सचिव (मृदा संरक्षण) और भू-संसाधन आयुक्त कृषि और सहकारिता विभाग	सदस्य
6. संयुक्त सचिव, प्रभारी आदिवासी कल्याण, गृह मंत्रालय	सदस्य
7. संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
8. योजना सलाहकार, पूर्वोत्तर परिषद, शिलांग	सदस्य
9. उप महानिदेशक (एस० ए० ई०) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	सदस्य
10. निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अनुसंधान परिसर, पूर्वोत्तर क्षेत्र, शिलांग	सदस्य
11. अरुणाचल प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, त्रिपुरा, सिक्किम, कर्नाटक, केरल, और महाराष्ट्र राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सचिव (कृषि/वन/मृदा संरक्षण)	सदस्य
12. विकास आयुक्त, पर्वतीय क्षेत्र, असम,	सदस्य
13. विकास आयुक्त, मिजोरम	सदस्य
14. संयुक्त आयुक्त (मृदा संरक्षण वानिकी) कृषि और सहकारिता विभाग	सदस्य-सचिव

कार्य :

बोर्ड के कार्य निम्नलिखित होंगे :—

(1) झूम खेती करने वाले कृषकों को बसाने की योजनाओं के नियोजन और आयोजन की गहराई से समीक्षा करना।

(2) राज्य सरकार की एजेंसियों के जरिए इन योजनाओं के क्रियान्वयन की व्यवस्था करना।

(3) योजना की प्रगति में अड़चनें डाल रही प्रशासनिक कमियों को दूर करना।

(4) यह सुनिश्चित करना कि उन क्षेत्रों पर जहां झूम खेती की जानी है अपेक्षित ध्यान दिया जा रहा है।

3. बोर्ड एक वर्ष में कम से कम एक बार अपनी बैठक अवश्य करेगा तथा अध्यक्ष के निर्णय के अनुसार अपनी बैठकें कर सकेगा।

4. बोर्ड का अध्यक्ष झूम खेती की समस्या से सम्बन्धित किसी भी व्यक्ति को बैठक में आमंत्रित कर सकता है।

5. बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए सदस्यों और अन्य अधिकारियों द्वारा की गई यात्रा के संबंध में यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ते, आदि पर हुए व्यय, यदि कोई हो, को उसी स्रोत से पूरा किया जाएगा जहां से वे सदस्य/अधिकारी अपना वेतन ले रहे हैं।

के० एस० पुरी, संयुक्त सचिव,
तथा भू-संसाधन आयुक्त।

पेट्रोलियम मन्त्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 जुलाई 1985

आदेश

विषय :—आर-71 संरचना में 11.73 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र (अपतटीय क्षेत्र) के लिए ओ० एन० जी० सी० को पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की स्वीकृति।

सं० ओ०-12012/1/85-ओ० एन० जी० सी० ओ०-4-पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 5 के उपनियम (1) की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आर०-71 संरचना में 11.73 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र (बम्बई अपतटीय क्षेत्र) में पेट्रोलियम मिलने की संभावना हेतु एक पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस इस आदेश के जारी होने की तिथि से 4 वर्षों के लिए स्वीकृति देती है। इसके विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची "क" में दिए गये हैं।

लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है :—

(क) अन्वेषण लाइसेंस पेट्रोलियम के संबंध में होगा।

(ख) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई खनिज पदार्थ पाये गये तो आयोग पूर्ण ब्यौरे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा।

(ग) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) निम्नलिखित दरों पर ली जायगी :

(i) समस्त अशोधित तेल तथा कंडेंसिंग हैड कंडेंसेट पर 61 रुपये प्रति मी० टन या ऐसी दर जो समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जायगी।

(ii) प्राकृतिक गैस के संबंध में में दर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर के अनुसार होगी।

(iii) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) की अदायगी, पेट्रोलियम मन्त्रालय नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को दी जायगी।

(घ) आयोग लाइसेंस के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 30 दिनों में गत माह में प्राप्त समस्त अशोधित तेल की मात्रा, कंडेंसिंग हैड कंडेन्सेट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका कुल उचित मूल्य दर्शाने वाला एक पूर्ण तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा। यह विवरण संलग्न अनुसूची "ख" में दिये गये प्रपत्र में भरकर देना होगा।

(ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम II की आवश्यकता के अनुसार आयोग 6000/- रुपये की धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा।

(च) आयोग प्रतिवर्ष लाइसेंस के संबंध में एक शुल्क का भुगतान करेगा जिसकी संगणना प्रत्येक वर्ग किलोमीटर या उसके किसी अंश जिसका लाइसेंस में उल्लेख किया गया हो, निम्नलिखित दरों पर की जायगी।

1. लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिए	4 रु०
2. लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिए	20 रु०
3. लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिए	100 रु०
4. लाइसेंस के चतुर्थ वर्ष के लिए	200 रु०
5. लाइसेंस के नवीनीकरण के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए	300 रु०

(छ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 11 के उपनियम (3) की आवश्यकतानुसार आयोग को अन्वेषण लाइसेंस के किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने की स्वतंत्रता सरकार को दो माह के नोटिस के बाद होगी।

(ज) केन्द्रीय सरकार की मांग पर उसको तत्काल तेल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषण के अन्तर्गत पाये गये समस्त खनिज पदार्थों के संबंध में भूवैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त रूप से देगा तथा हर छः महीने में निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार को समस्त परिचालनों व्यधन तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना देगा।

(झ) आयोग समुद्र की तलहटी और/या उसके धरातल पर आग लगने संबंधी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने हेतु हर समय के लिए ऐसे उपकरण, सामान तथा साधन बनाये रखेगा और तीसरी पार्टी और/या सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना कि आग लगने से हुई हानि के बारे में निर्धारित किया जायेगा।

(ञ) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल क्षेत्र (नियंत्रण और विकास) अधिनियम 1948 (1948 का 53) और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के उपबन्ध लागू होंगे।

(ट) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे में आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक जैसा दस्तावेज भर कर देगा जो अपतटीय क्षेत्रों के लिए व्यवहार्य होगा।

(ठ) आयोग द्वारा खुदाई/अन्वेषी आपरेशनों/सर्वेक्षणों के दौरान एकत्र किये गये बाथोमीट्रिक सतही नमूने धारा और चुम्बकीय आंकड़े सामान्य रूप से रक्षा मन्त्रालय नौसेना मुख्यालय को प्रस्तुत करने चाहिए।

(ड) आंकड़े भारत में संकलित किये जाते हैं।

(ढ) आयोग समुद्रविज्ञान सम्बन्धी आंकड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

(ण) संकलित आंकड़ों का एक पूरा सेट चीफ हाइड्रोग्राफर, देहरादून को निःशुल्क सप्लाई किया जाता है।

(त) विदेशी जल पोत/रिगों का इन्हें वास्तविक रूप से काम में लाने से पहले विशेषज्ञ अधिकारियों के एक दल द्वारा मुख्य नौसेना बेस पर नौसेना सुरक्षा निरीक्षण किया जाता है। प्रत्येक जल पोत/रिग के सम्बन्ध में विवरणों की आठ प्रतियां नौसेना मुख्यालय को इनको आने से छः सप्ताह पहले भेज दी जानी होती है ताकि नौसेना बल को प्रतिनियुक्ति करने में सुविधा हो।

अनुसूची "क"

आर-71 संरचना (अपतटीय) में 11.73 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र का भौगोलिक समन्वय।

बिंदु	रेखांश	अक्षांश
क.	72° 17″ 25.71″	18° 08″ 13.06″
ख.	72° 18″ 46.29″	18° 08″ 44.08″
ग.	72° 20″ 1.71″	18° 06″ 31.02″
घ.	72° 18″ 41.14″	18° 06″ 39.18″

अनुसूची—ख

अशोधित तेल, केसिंग कन्डेन्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक वितरण के लिए पैट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस ।

क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर ।

माह तथा वर्ष

क—अशोधित तेल

कुल प्राप्त किलो लीटरों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टनों की सं०	केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पैट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये मी० टनों की सं०	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टनों की सं०	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ख—केसिंग हैड कन्डेन्सेट

प्राप्त किये गये कुल मी० टनों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टनों की संख्या	केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पैट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये मी० टनों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टनों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ग—प्राकृतिक गैस

कुल प्राप्त घन मीटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये गये घन मीटरों की संख्या	केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पैट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये घन मीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त घन मीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

एतद्द्वारा मैं, श्री————————————सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि इस विवरण में दी गई सूचना पूर्ण रूपेण सत्य और सही है, उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण से सत्य निष्ठा से यह घोषणा करता हूं।

हस्ताक्षर————————

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से और उनके नाम पर।

पी० के० राजगोपालन, डैस्क अधिकारी

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 3 जुलाई 1985

संकल्प

सं० ई०-11016/3/85-रा० भा० नी०—श्रम मंत्रालय के समय-समय पर यथा-संशोधित संकल्प संख्या ई-11016/9/80-हि० ए०, दिनांक 28-5-1982 का अधिक्रमण करते हुए भारत सरकार ने श्रम मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का निम्न प्रकार पुनर्गठन करने का निश्चय किया है :—

गठन

1. श्रम मंत्री	अध्यक्ष
सरकारी सदस्य	
2. सचिव, श्रम मंत्रालय	सदस्य
3. सचिव, राजभाषा विभाग तथा भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार	सदस्य (पदेन)
4. अपर सचिव, श्रम मंत्रालय	सदस्य
5. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
6. महानिदेशक (श्रम कल्याण)	सदस्य
7. महानिदेशक (रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय)	सदस्य
8. महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा और श्रम विज्ञान केन्द्र	सदस्य
9. महानिदेशक (खान सुरक्षा)	सदस्य
10. महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम	सदस्य
11. मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय)	सदस्य
12. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त	सदस्य
13. संयुक्त सचिव (के) श्रम मंत्रालय	सदस्य सचिव
गैर-सरकारी सदस्य	
14. श्री के० एन० प्रधान, सदस्य, लोक सभा	सदस्य
15. श्री राम रतन राम, सदस्य, लोक सभा	सदस्य
16. श्री पी० के० प्रजापति, सदस्य, राज्य सभा	सदस्य
17. श्री धर्मचन्द्र प्रशांत, सदस्य, राज्य सभा	सदस्य
18. संसदीय राजभाषा समिति के दो	सदस्य
19. प्रतिनिधि नामित किए जाने हैं।	सदस्य

20. श्रीमती डा० सरोजिनी अग्रवाल — सदस्य
अभिवादन, वल्वा कालोनी, निशातगंज,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।

21. श्री सत्यनारायण गुप्ता, — सदस्य
अध्यक्ष, आन्ध्र प्रदेश हिन्दी समिति,
3-3-188, चप्पल बाजार, हैदराबाद,
आन्ध्र प्रदेश । — सदस्य

22. श्री ए० डी० मिश्रा, — सदस्य
878 दरयाबाद, कल्याण देवी,
इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।

23. श्री कंवल प्रसाद कंवल, — सदस्य
13-2-667, घूलपेट, हैदराबाद,
आंध्र प्रदेश ।

24. श्री दीपक कुमार पाटक, — सदस्य
21-हर्ग रोड़, हिल्स साउथ,
रांची, बिहार ।

25. श्री विजय रंजन, — सदस्य
सम्पादक, लोक आस्था, हिन्दी साप्ताहिक,
शैल कुटीर, पटना, बिहार ।

26. श्री राम निवास पाण्डेय, — सदस्य
ग्राम गायत्रीनगर, पी० लोही,
जिला-रेवा, मध्य प्रदेश ।

27. श्री अनुभव भटनागर, — सदस्य
एफ-10, ए० डी० डी० ए० फ्लैट,
मुनीरका, नई दिल्ली ।

28. श्री जे० पी० पाण्डेय, — सदस्य
प्रधानाध्यापक, राजस्थान सेवा समिति
हाई स्कूल, दिल्ली गेट के बाहर, अहमदाबाद,
गुजरात ।

29. श्री पी० एन० वाजपेई, — सदस्य
28 काका नगर, नई दिल्ली ।

30. श्री दीवान द्वारका खोसला, — सदस्य
नव भारत टाइम्स, नई दिल्ली ।

31. श्री मधुकर खेर, — सदस्य
साहित्यकार एवं पत्रकार,

32. श्री राहुल बारपुते, — सदस्य
बूढ़ापार, रायपुर, मध्य प्रदेश ।
साहित्यकार एवं पत्रकार,
इन्दौर, मध्य प्रदेश ।

2. कार्य :

इस समिति का कार्य सरकारी कार्यों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित मामलों में श्रम मंत्रालय और उसके संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों को सलाह देना होगा ।

3. कार्यावधि :

समिति का कार्यकाल निम्नलिखित व्यवस्था के साथ उसके पुनर्गठन की तारीख से तीन वर्ष का होगा :

(i) समिति में नामजद कोई संसद सदस्य जैसे ही संसद सदस्य नहीं रहेगा उसी समय से वह इस समिति का सदस्य भी नहीं रहेगा ।

(ii) कार्य-काल के बीच में रिक्त हुआ स्थान उसके पद पर आने वाले अधिकारी से भरा जाएगा और यह अधिकारी 3 वर्ष की अवधि के बकाया काल के लिए सदस्य होगा ।

4. विविध :

(i) समिति आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित कर सकेगी और अपनी बैठकों में भाग लेने के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगी अथवा उप समितियां नियुक्त कर सकेगी ।

(ii) समिति का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में होगा लेकिन समिति अपनी बैठकें किसी अन्य नगर में भी कर सकती है ।

5. यात्रा व अन्य भत्ते :

समिति और इस समिति की उप समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर यात्रा और दैनिक भत्ता दिया जाएगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस प्रस्ताव की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, प्रधान मंत्री सचिवालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महालेखापाल, केन्द्रीय राजस्व और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों एवं श्रम मंत्रालय के सभी कार्यालयों, जिनमें स्वायत्त तथा अर्ध-स्वायत्त निकाय भी शामिल हैं, को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

करनैल सिंह, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 17 जुलाई 1985

संकल्प

सं० वी०-24030/1/85-डब्ल्यू० बी०—भारत सरकार ने चीनी उद्योग के वर्तमान मजदूरी ढांचे में और संशोधन करने के सवाल पर विचार करने के लिए चीनी उद्योग के लिए तीसरा मजदूरी बोर्ड गठित करने का निश्चय किया है । मजदूरी बोर्ड अपनी सिफारिशें करते समय, निम्नलिखित को ध्यान में रखेगा :—

(क) कर्मचारियों के प्रवर्गों (मैनुअल, लिपिकीय, पर्यवेक्षी आदि) का निश्चय करना जिन्हें प्रस्तावित मजदूरी निर्धारण के सीमाक्षेत्र में लाया जाना चाहिए;

(ख) उचित मजदूरी समिति की रिपोर्ट में यथा-निर्धारित उचित मजदूरी के सिद्धान्तों के आधार पर मजदूरी ढांचा तैयार करना; (इसमें उद्योग की भुगतान क्षमता भी शामिल है) ।

स्पष्टीकरण

मजदूरी ढांचा तैयार करते समय, मजदूरी बोर्ड उचित मजदूरी से संबंधित सिद्धांतों के अलावा, निम्नलिखित को भी ध्यान में रखेगा :—

(i) विकासशील अर्थव्यवस्था में इस उद्योग की आवश्यकताएं;

(ii) इस उद्योग की विशेषताएं जिनमें निर्यात से संबंधित पहलू भी शामिल है;

(iii) सामाजिक न्याय के आवश्यक तत्व;

(iv) मजदूरी भिन्नताओं को ऐसी रीति से समंजित करने की आवश्यकता जिससे कर्मचारियों को अपना कौशल बढ़ाने की प्रेरणा मिले;

(v) उत्पादकता को मजदूरी से संबद्ध करने की संभाव्यता ।

(ग) कार्य के अनुरूप अदायगी की पद्धति लागू करने की वांछनीयता।

स्पष्टीकरण :—कार्य के अनुरूप अदायगी की पद्धति लागू करते समय बोर्ड न्यूनतम (जीवन निर्वाह) मजदूरी निर्धारित करने की और अति श्रम तथा अनुचित गति से काम करवाने से बचाने की आवश्यकता को ध्यान में रखेगा।

चीनी उद्योग के लिए गठित इस तीसरे मजदूरी बोर्ड के लिए यह भी आवश्यक है कि वह मजदूरी निर्धारण करने के लिए उत्पादकता को एक कारक मानने के प्रश्न की नए सिरे से जांच करें।

2. बोर्ड का गठन निम्न प्रकार से होगा :—

अध्यक्ष

(1) श्री जगमोहन लाल टंडन, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश।

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य (2)

(2) श्री डी० बी० कदम, विधान सभा, सदस्य, (नेशनल फेडरेशन आफ कोआपरेटिव सुगर फैक्टरीज का प्रतिनिधित्व करने वाले) अध्यक्ष, सतारा सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड, किशनवीर-नगर, भुइंज, जिला—सतारा (महाराष्ट्र)।

(3) श्री ओ० पी० धसुका, (इंडियन सुगर मिल्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने वाले) डायरेक्टर, रिगा सुगर कंपनी लिमिटेड, 14, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता।

श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य (2)

(4) श्री चन्द्रिका सिंह, (इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने वाले) अध्यक्ष, इंडियन नेशनल सुगर मिल वर्कर्स फेडरेशन, मार्फत दौराला सुगर वर्क्स, डाकघर दौराला, जिला मेरठ (उत्तर प्रदेश)।

(5) श्री वीराय्यर त्यागी, (हिन्द मजदूर सभा का प्रतिनिधित्व करने वाले) सेक्रेटरी, आल इंडिया हिन्द मजदूर सभा।

3. बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। बोर्ड के साथ किए जाने वाला पत्राचार, इस पते पर करें अर्थात् अध्यक्ष, चीनी उद्योग के लिए तीसरा केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड, मार्फत श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली।

4. मजदूरी बोर्ड से आशा की जाती है कि वह अपनी रिपोर्ट एक वर्ष की अवधि के अन्दर दे दें।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी संबंधितों को भेजी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

पी० राघवन, उप सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 17th July 1985

No. 69-Pres./85.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Boarder Securtiy Force :—

Names and rank of the officers

Shri Mohan Lal, (posthumous)
L/NK. No. 66788399,
53 Bn., BSF.

Shri Satwinder Singh, (posthumous)
Constable No. 7953007,
53 Bn., BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 29th May, 1984, L/NK Mohan Lal and Constable Satwinder Singh, 53 Bn., Border Securtiy Force, alongwith three Constables, were on duty at Naka point Bhan Singh Chowk from 1830 hours to 0030 hours. At about 2120 hours some extremists came out from inside Darbar Sahib and suddenly attacked the Naka Party with automatic weapons. As a result of this firing, L/NK Mohan Lal, Constable Satwinder Singh and other members of the Naka pary were seriously injured. Despite grievous injuries to their persons, Shri Mohan Lal and Shri Satwinder Singh without loosing time picked up courage, took positions and returned fire on the extremists. One extremist was shot dead and some were seriously injured by their effective firing. This bold action of Shri Mohan Lal and Shri Satwinder Singh forced the extremists to run back to Darbar Sahib. Shri Mohan Lal and Shri Satwinder Singh were later evacuated to SGTB Hospital, Amritsar where they succumbed to their injuries.

Shri Mohan Lal, Lance Naik and Shri Satwinder Singh, Constable thus displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 29th May, 1984.

No. 70-Pres/85..—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Assam Police :—

Name and rank of the officer

Shri Nabin Chandra Deb Nath, (Posthumous)
Assistant Sub-Inspector of Police,
Nagaon District (Assam).

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 2nd March, 1983, a large number of miscreants armed with lethal weapons attacked Pamilla village under Madhapara Police Post. Shri Nabin Chandra Deb Nath, Assistant Sub-Inspector of Police was alone in the Police Post at that time. While he was on active duty, he was attacked by the mob surrounding the Police Post from all directions. The mob set fire to the Police Post and burnt it completely. In utter disregard of his own personal safety Shri Nabin Chandra Deb Nath fought bravely with the miscreants in order to prevent further damage to Government property but in the process he was killed by the miscreants on the spot.

In this incident Shri Nabin Chandra Deb Nath, Assistant Sub-Inspector of Police, displayed conspicuous courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 2nd March, 1983.

No. 71-Pres./85.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force :—

Name and rank of the officer

Shri Hari Singh, *(Posthumous)*
Head Constable No. 700001081,
79Bn., BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 4th June, 1984, the BSF Commando group were given the task of combing the Chhati Khui area in Amritsar to flush out the terrorists. A patrol party headed by ADIG (G) alongwith 9 officers and jawans was assigned the task. While crossing the lane, the patrol party came under heavy fire of automatic weapons from the terrorists from a nearby

Gurudawara-cum-house adjacent to the Golden Temple complex in the area of Chhatti Khui. The patrol party immediately took position and started crawling for cover. Head Constable Hari Singh, who was in the rear of the patrolling party, was hit by a bullet which pierced through his body. Though he was seriously wounded he continued to return the fire at the position occupied by the extremists. As a result of his bold action the patrol party could crawl to safety. Unmindful of risk of his personal safety, he remained unmoved and gave effective covering fire to his party, thus enabling the party to accomplish the assigned task of clearing the area of extremists. Later on he was removed to SGTB Hospital, Amritsar, where he succumbed to his injuries. But for this daring act of Head Constable Hari Singh the entire party would have suffered heavy casualties.

In this incident Shri Hari Singh, Head Constable, displayed conspicuous gallantry, indomitable courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 4th June, 1984.

No. 73-Pres.|85.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Uttar Pradesh Police :—

Name and rank of the officers

Shri Brij Mohan Misra,
Sub-Inspector of Police,
District Muzaffarnagar.

Shri Shyam Dhan Gupta,
Sub-Inspector of Police,
District Muzaffarnagar.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 8th August, 1982 information was received that some criminals had taken possession of a car after looting and pushing out the passengers. Thereafter the criminals moved towards Khandhla in the same car. On receipt of the information Shri Brij Mohan Misra, Sub-Inspector with the available force, left in the vehicle for the purpose of intercepting the criminals. He placed the jeep across the road. The criminals stopped the car and finding the Police Jeep in front, opened fire. In the meantime Sub-Inspector Shyam Dhan Gupta, who had the knowledge of the movements of the criminals, also reached the scene alongwith his staff and joined the encounter. The exchange of fire continued for sometime and resulted in injuries to both the Sub-Inspectors and killing of four criminals, viz., Satyawan, Surendra alias Pappu, Ram Mool and Subhash Kumar.

In this encounter Shri Brij Mohan Misra, Sub-Inspector and Shri Shyam Dhan Gupta, Sub-Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 8th August, 1982.

S. NILKANTAN, Dy. Secy. to the President

CABINET SECRETARIAT

New Delhi the 4th July 1985

RESOLUTION

No. 11011|9|85-Ad.I.—The Government have decided to reconstitute the Advisory Board on Energy which shall be responsible for

(i) Continuously reviewing the energy situation in the country in the global context and proposing future energy options on an integrated and coordinated basis;

(ii) Formulating an integrated energy policy covering commercial and non-commercial sources of energy, and evolving operational arrangements for management of supply and demand in all sectors and monitoring their implementation keeping in view technology options [illegible] etc. having regard to the intensity of energy use;

(iii) Periodically assessing the likely demand and availability of different forms of energy and suggesting appropriate arrangements to meet the country's energy needs on an optimal basis keeping in view :-

(a) the need to conserve our resources;

(b) environmental considerations; and

(c) comparative costs and benefits;

(iv) Proposing pricing policies of all forms of energy, keeping in view their *inter se* availability, opportunity costs and conservation of energy; and

(v) Creating public awareness at all levels of the energy situation in the country and its prospects.

2. In carrying out the aforesaid responsibilities the [illegible] may :—

(i) Sponsor application-oriented studies of specific nature to suggest policy solutions to specific and pre-identified problems in the fields of :—

(a) Energy conservation;

(b) Energy production; and

(c) consumption, particularly where the problems involve action by more than one department| discipline.

(ii) Prepare optimum plans for energy production and consumption over a time-frame in consultation with Planning Commission based on quantitative models as a theoretical back-up for operational work of departments dealing directly with energy in different forms; and

(iii) Identify wrong or incorrect approaches in existing policies quantify their extent and implication in study reports, and suggest alternative approaches.

Composition

3. The Board shall comprise the following :

Chairman

1. Shri B. B. Vohra, IAS (Retd.)

Members

2. Shri C. R. Jagannathan,
(Ex-CMD, Oil India Ltd.)
3. Shri R. N. Sharma,
(Vice-Chairman, TISCO)
4. Shri A. K. Sah,
(Chairman, U P State Electricity Board)
5. Shri Prakash Narain,
(Chairman, Railway Board)
6. Shri K. Ramachandran,
(Automotive Research Institute India, Pune)
7. Dr. Kamla Chowdhry
8. Dr. R. K. Pachauri,
(Director, Tata Energy Research Institute)
9. Dr. T. L. Sankar,
(Principal Secretary Industries, Government of Andhra Pradesh)
10. Shri Ratan Tata
11. Shri Sundar Lal Bahuguna,
(Garhwal, U. P.)
12. Secretary, Planning Commission,
(Ex-officio)
13. Member-Secretary, ABE
(Ex-officio)

4. The Board may, with the approval of Government, enlist assistance of experts, consultants and Institutions and also constitute panels where required.

5. The Board will be serviced by the Cabinet Secretariat. The Headquarters of the Board will be at Delhi.

6. The functions of the Board shall be advisory in nature and the Board will submit its reports to the Prime Minister.

7. The term of this Board would be for 3 years, effective from July, 1, 1985.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India.

ORDERED also that a copy of the Resolution be communicated to the Ministries|Departments of the Government of India and all other concerned.

ANIL KUMAR, It. Secy. to the Cabinet

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

New Delhi, the 27th June 1985

RESOLUTION

No. 1|200017|1|85-OL(A-1).—The Government of India have decided to reconstitute the Kendriya Hindi Samiti. The Samati will consist of :—

Chairman

1. Prime Minister

Members

2. Minister of Home Affairs
3. Minister of Finance
4. Minister of Education
5. Minister of Law
6. Chief Minister, Uttar Pradesh
7. Chief Minister, Madhya Pradesh
8. Chief Minister, Maharashtra
9. Chief Minister, Gujarat
10. Chief Minister, Orissa
11. Chief Minister, Karnataka
12. Minister of State of the Ministry of Information & Broadcasting.
13. Minister of State of the Ministry of Communication.
14. Minister of State in the Ministry of External Affairs.
15. Minister of State in the Ministry of Science & Technology and in the Department of Ocean Development, Atomic Energy, Space & Electronics.
16. Minister of State in the Ministry of Tourism & Civil Aviation.
17. Ministry of State (S) in the Ministry of Home Affairs.
18. Ministry of State (K) in the Ministry of Home Affairs.
19. Shri Hardwari Lal, M.P.
20. Smt. Basavarajeshwari, M.P.
21. Dr. (Mrs.) Sarojini Mahishi, M.P.
22. Shri Ram Chandra Vikal, M.P.
23. Dr. Rudrapratap Singh, M.P.
24. Shri Shrikant Verma, M.P.
25. Shri B. V. Desai, M.P.
26. Shri M. K. Velayudhan Nayar.
27. Shri Yugal Kishore Chaturvedi.
28. Shri Shankar Rao Lodhe.
29. Vinod Kumar Mishra.
30. Shri D. P. Patnaik.
31. Shri R. P. Pandey.
32. Dr. Sarigu Krishnamurthi.
33. Prof. Gopinath Tiwari.
34. Shri V. Radhakrshnamurithi.
35. Shri Surendra Nath Singh.
36. Prof. C. G. Rajgopal.

Member-Secretary

37. Secretary, Department of Official Language and Hindi Adviser to the Government of India.

2. Function of the Samiti will be to bring about coordination in the work and programmes relating to the development and propagation and progressive use of Hindi for official purposes being implemented by the various Ministries of the Government of India.

3. The Samiti will have the power to appoint Up-Samitis and Co-opt additional members, as may be necessary, for assisting it in the discharge of its functions.

4. The term of the Samiti will be three years from the date of its reconstitution.

5. The headquarters of the Samti will be at New Delhi.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the State Governments, Administrations of Union Territories, all the Ministries and Departments of the Government of India, President's Secretariat, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Planning, Commission, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General Central Revenues, the Lok Sabha Secretariat and the Rajya Sabha Secretariat.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

D. C. MISRA, Jt. Secy.

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

New Delhi, the June 1985

RESOLUTION

No. E-11014|1|82-Hindi.—In continuation of this Ministry's resolution of even number dated 21-7-1983, Government of India have decided to nominate the following M. P. in the Hindi Salahkar Samiti for the Ministry of Chemicals & Fertilizers :—

Shri Manoj Kumar Pandey,
Member of Parliament,
Lok Sabha,
New Delhi.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the above members of the Samiti, all Ministries /Departments of the Government of India, all State Governments and Union Territory Administration, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat, Parliamentary Committee on Official Language, Comptroller and Auditor General of India and Pay and Accounts Office as well as Public Sector Undertakings under the control of the Ministry of Chemicals & Fertilizers.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. P. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

MINISTRY OF STEEL, MINES AND COAL
(DEPARTMENT OF STEEL)

New Delhi, the 27th June 1985

RESOLUTION

No. F.11015(1)/85-Hindi(.).—The Government of India have decided to reconstitute the Hindi Salahkar Samiti for the Ministry of Steel, Mines & Coal. Its composition, functions etc. will be as given hereunder :—

I. *COMPOSITION*

Chairman

1. Minister for Steel, Mines & Coal.

Vice-Chairman

2. State Minister in the Department of Steel.

NON-OFFICIAL MEMBERS

Members

3. Shri Janak Raj Gupta, M. P. (Lok Sabha).
4. Shri Uttam Rathod, M. P. (Lok Sabha).
5. Shri P. L. Khandelwal, M. P. (Rajya Sabha).
6. Shri Ram Chandra Bhardwaj, M. P. (Rajya Sabha).
7. Vacant. } *Representatives of the Committee of Parliament on Official Language.*
8. Vacant. }
9. Shri Jagannath Mishra, Ex-M.P., Village & Post-Sude Ratoli, via Ghoghardiha, Distt.-Madhubani, Bihar.
10. Shri Kameshwar Prasad Aggarwal, Advocate, 8-Mahatma Gandhi Marg, Allahabad.
11. Sh. Shankar Rao Londhay, Rastra Bhasha Prachar Samiti, Vardha-442 003.
12. Sh. Tarun Vijay, Banarasi Kalyan Asram, Silvasa.
13. Rishi Mamchand Kaushik, Editor 'AJENTA' Hyderabad.
14. Dr. N. E. Vishwanath Iyyar, (Retired Prof. & Head of Deptt.), Deptt. of Hindi, Kerala University, Trivandrum.

OFFICIAL MEMBERS

Members

15. Secretary (Steel).
16. Secretary (Mines).
17. Secretary (Coal)
18. Secretary, Deptt. of Official Language, New Delhi.
19. Joint Secretary, Deptt. of Official Language, New Delhi.
20. Joint Secretary (Hindi), Deptt. of Mines.
21. Joint Secretary (Hindi), Deptt. of Coal.
22. Iron & Steel Controller, Calcutta.
23. Chairman, Steel Authority of India Limited, New Delhi.
24. Chief Executive, National Mineral Development Corpn., Hyderabad.
25. Chief Executive, Metallurgical & Engg. Consultants (India) Ltd., Ranchi.
26. Chief Executive, Hindustan Steelworks Construction Ltd., Calcutta.
27. Chief Executive, Manganese Ore India Ltd., Nagpur.
28. Chief Executive, Bharat Refractories Limited, Bokaro Steel City (Bihar).
29. Director General, Geological Survey of India, Calcutta.
30. Chief Executive, Bharat Aluminium Co. Limited, New Delhi.
31. Chief Executive, Hindustan Copper Limited, Calcutta.
32. Chief Executive, Hindustan Zinc Limited, Udaipur (Rajasthan).
33. Chief Executive, Mineral Exploration Corporation Ltd., Nagpur.
34. Chief Executive, Coal India Limited, Calcutta.
35. Chief Executive, Central Coal Fields Ltd., Ranchi.
36. Chief Executive, Western Coal Fields Limited, Nagpur.

Member-Secretary

37. Joint Secretary (Hindi), Deptt. of Steel.

II. *FUNCTIONS* :

The functions of the Samiti will be to advise the Ministry on matters relating to the progressive use of Hindi for official purposes.

III. *TENURE*

The term of the Samiti will be three years from the date of its composition, provided that

(i) A member of Parliament nominated to the Samiti shall cease to be a member of the Samiti as soon as he ceases to be a Member of Parliament.

(ii) Any mid-term vacancy shall be filled up by the concerned member's successor in office, who shall be a member for the remaining term of three years.

IV. *GENERAL*

(i) The Committee may co-opt additional members and invite experts to attend its meetings, as may be deemed necessary.

(ii) Headquarters of the Samiti shall be at New Delhi but it my held its meeting at any other station also.

(iii) The non-official members will be paid travelling and daily allowances for attending the meetings of the Samiti at the raes fixed by the Government of India from time to time.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Central Revenues and all Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information

P. G. RAMRAKHIANI, Jt. Secy.

MINISTRY OF INDUSTRY & COMPANY AFFAIRS
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 1985

ORDER

No. 14(8)/84-Paper.—In exercise of the powers conferred by clause 9 of the Paper (Regulation of Production) Order, 1978 the Central Government hereby exempts for the period commencing on the 1st October 1984 and ending on 30th September, 1985, M/s. Punalur Paper Mills, Punalur, Kerala for the requirements of clause 3 of the said order having

regard to the fact that the said mills have suffered heavy financial losses in the immediately proceeding three years.

G. SUNDARAM, Under Secy.

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER (SMALL SCALE INDUSTRIES)

New Delhi, the 28th June 1985

RESOLUTION

No. 1(1)/85-SSI Bd.—Government of India are pleased to re-constitute the Small Scale Industries Board as follows:—

Chairman

1. Minister of Industry & Company Affairs, Government of India.

Members

2. Minister of Commerce, Government of India.
3. Minister of Chemical & Fertilizers, Government of India.
4. Minister of Steel, Mines & Coal, Government of India.
5. Minister of State for Petroleum, Government of India.
6. Minister of State for Industry, Government of India.
7. Minister of State for Rural Development, Government of India.
8. Member (Industry), Planning Commission.
9. Shri P. A. Sangma, Minister of State for Commerce, Government of India.
10. Secretary, Department of Industrial Development, Ministry of Industry & Company Affairs, Government of India.
11. Secretary (Supply), Ministry of Textiles & Supply, Government of India.
12. Secretary (Steel), Ministry of Steel, Mines & Coal, Government of India.
13. Secretary (Banking), Ministry of Finance, Government of India.
14. Minister Incharge of Small Scale Industries, Government of Andhra Pradesh, Hyderabad.
15. Minister Incharge of Small Scale Industries, Government of Assam, Dispur.
16. Minister Incharge of Small Scale Industries, Government of Bihar, Patna.
17. Minister Incharge of Small Scale Industries, Government of Gujarat, Ahmedabad.
18. Minister Incharge of Small Scale Industries, Government of Haryana, Chandigarh.
19. Minister Incharge of Small Scale Industries, Government of Himachal Pradesh, Shimla.
20. Minister Incharge of Small Scale Industries, Government of Jammu & Kashmir, Srinagar.
21. Minister Incharge of Small Scale Industries, Government of Karnataka, Bangalore.
22. Minister Incharge of Small Scale Industries, Government of Kerala, Trivandrum.
23. Minister Incharge of Small Scale Industries, Government of Madhya Pradesh, Bhopal
24. Minister Incharge of Small Scale Industries, Government of Maharashtra, Bombay.
25. Minister Incharge of Small Scale Industries, Government of Manipur, Imphal.
26. Minister Incharge of Small Scale Industries, Government of Meghalaya, Shillong.
27. Minister Incharge of Small Scale Industries, Government of Nagaland, Kohima.
28. Minister Incharge of Small Scale Industries, Government of Orissa, Bhaubneshwar.
29. Minister Incharge of Small Scale Industries, Government of Punjab, Chandigarh.
30. Minister Incharge of Small Scale Industries, Government of Rajasthan, Jaipur.
31. Minister Incharge of Small Scale Industries, Government of Sikkim, Gangtok.
32. Minister Incharge of Small Scale Industries, Government of Tamil Nadu, Madras.
33. Minister Incharge of Small Scale Industries, Government of Uttar Pradesh, Lucknow.
34. Minister Incharge of Small Scale Industries, Government of West Bengal, Calcutta.
35. Minister Incharge of Small Scale Industries, Government of Tripura, Agartala.
36. Minister Incharge of Small Scale Industries, Government of Goa, Daman & Diu, Panaji.
37. Minister Incharge of Small Scale Industries, Government of Mizoram, Aizwal.
38. Minister Incharge of Small Scale Industries, Government of Arunachal Pradesh, Itanagar.
39. Minister Incharge of Small Scale Industries, Government of Pondicherry. Pondicherry.
40. Chief Executive Councillor, Delhi Administration, Delhi.
41. Lt. Governor, Andaman & Nicobar Islands, Port Blair.
42. Chief Commissioner, Chandigarh Administration, Chandigarh.
43. Administrator, Dadra & Nagar Haveli, Silvassa.
44. Administrator, Lakshadweep, Kavaratti, H.P.O. Calicut.

45. Governor,
Reserve Bank of India,
5, Carumichel Road,
Bombay-26.

46. Chairman,
Industrial Development Bank of India,
Nariman Bhawan,
227, Vinay K. Shah Marg.
Nariman Point,
Bombay.

47. Chairman,
State Bank of India,
Central Office,
New Administrative Building,
Madame Cama Road,
Bombay-400 021.

48. Chairman,
National Bank for Agriculture & Rural Development,
Poonam Chamber,
Shivasagar Estate,
Dr. Annie Besant Road,
Bombay-400 018.

49. Chairman,
Industrial Finance Corporation of India,
Bank of Baroda Building,
16, Sansad Marg,
New Delhi-110 001.

50. Chairman,
National Small Industries Corporation Ltd.,
Okhla Industrial Estate,
New Delhi.

51. Chairman,
State Trading Corporation of India Ltd.,
Chandralok Building,
36-Janpath,
New Delhi-110 001.

52. Chairman,
Minerals & Metals Trading Corporation of India Ltd.,
The express Building,
Bahadur Shah Zafar Marg,
New Delhi-110 001.

53. Chairman,
Khadi & Village Industries Commission
Gramodaya,
3-Irla Road, Vile Parle (West),
Bombay-400 056.

54. Development Commissioner,
Handicrafts,
West Block-VII, R. K. Puram,
New Delhi-110 021.

55. Development Commissioner for Handlooms,
Ministry of Commerce,
Deptt. of Textiles,
Udyog Bhavan,
New Delhi-110 001.

56. Chairman,
Council of Small Industries Corporations in India,
Flat No. 910, Padma Tower,
Rajendra Place,
New Delhi.

57. President,
Federation of Association of
Small Industries of India (FASII),
23-B|2, Guru Gobind Singh Road,
New Delhi-110 005.

58. President,
Indian Council of Small Industries,
33, Deputy Ganj,
Delhi.

59. President,
National Alliance of Young Entrepreneurs,
301-302, Saraswati Bhavan,
27, Nehru Place,
New Delhi.

60. President,
Federation of Indian Chamber of Commerce
& Industry,
Tansen Marg,
New Delhi.

61. President,
All India Manufacturers Organisation,
Jeewan Sahkar,
Sir P. M. Road,
Bombay.

62. Shri N. Dennis,
Member, Lok Sabha.
182, North Avenue,
New Delhi.

63. Shri Vijay N. Patil,
Member, Lok Sabha,
23, Ashoka Road,
New Delhi.

64. Shri Durga Das Jamuda,
Member, Rajya Sabha,
32, South Avenue,
New Delhi.

65. Shri Achhey Lal Balmiki,
Member of Rajya Sabha,
35, South Avenue,
New Delhi.

66. President,
Bihar Small Scale Industries Association,
204, Nelgiri Bhavan,
Boring Canal Road,
Patna (Bihar).

67. President,
Gujarat State Small Scale Industries Federation,
Gin House, Khanpur.
Ahmedabad.

68. President,
Kerala State Small Industries Association,
Uthara Building, Karakkat Road,
Cochin-682 016.

69. President,
Tamil Nadu Small Scale Industries Association,
10, G.S.T. Road.
Guindy, Madras.

70. President,
Maharashtra Small Scale Industries Association,
Bombay.

71. President,
The Federation of Punjab Small Industries Asson.,
21, Roshan Market, G. T. Road,
Miller Ganj, Ludhiana.

72. President,
Federation of Association of
Small Industries of Rajasthan,
Rajasthan Chamber of Commerce Bhavan,
M.I. Road,
Jaipur.

73. President,
Orissa Small Scale Industries Association.
Industrial Estate,
Cuttack-753 010.

74. President,
Karnataka Small Scale Industries Association,
11-A, Jayachamarajendra Road,
Bangalore-560 002.

75. President,
Federation of Association of Cottage
and Small Industries,
21-1-1, Creek Row,
Calcutta-14.

76. President,
Gauhati Industrial Estate Association,
Industrial Estate, Gauhati-781 021.

77. President,
Association of Industries Madhya Pradesh,
Industrial Estate, Pologround
Indore-452 003.

78. President,
Andhra Pradesh Small Scale Industries Association.
Industrial Estate,
Vijayawada (A.P.)

79. President,
J & K Small Scale Industries Association,
Srinagar.

80. Development Commissioner,
Small Scale Industries,
and Ex-officio Additional Secretary,
Ministry of Industry,
Government of India,

Member-Secretary

2. The functions of the reconstituted Board will be to advise the Government on all policy matters relating to the development of small scale industries.

3. The Board will have powers to appoint Committee for specific purposes; it shall also have powers to invite the persons to the meetings of the Board as and when necessary.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. C. MATHUR
Director (SSI Board)

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi, the 1st July 1985

No. W.11011|1|80-Grants (Vol.II).—With reference to Ministry of Health and Family Welfare Notifications No. W.11011|1|80-Grants dated 9-3-84 and 21-6-84 the Government of India have decided to include Dr. Govind Dass Richhariya, M.P. (Rajya Sabha) and Dr. P. Vallal Peruman, M.P. (Lok Sabha) as members in the Grants Committee in place of Sh. M. Moses, M.P. (Rajya Sabha) and Sh. T. M. Sawant, M.P. (Lok Sabha) who have ceased to be members of the Parliament.
Parliament.

2. Consequently, the constitution of the Grants Committee will be as follows :—

Chairman

Minister for Health & Family Welfare.

Members

Dr. Govind Dass Richhariya, M. P.
Rajya Sabha.

Dr. P. Vallal Perruman, M. P., Lok Sabha.

Shri S. M. Shah.

Dr. Vatsala Samant.

Shri G. B. Mane.

Mrs. Renuka Appadurai.

Dr. M. P. Keshava Murthy.

Shri Karam Chand Shenmar.

Shri Swapan Sadhan Bose.
Secretary, Ministry of Health & Family Welfare.

Director General of Health Services.

Member-Secretary

Joint Secretary concerned with Grants
in the Ministry of Health.

3. The expenditure on TA/DA of non-official members will be met from Demand No. 43 Ministry of Health & Family Welfare, Major Head 276-A.1,Sectt.A.1(1) Department of Health A. 1. (1) (3) Travel Expenses.

4. The term of the present Committee is upto the 8th March, 1986 in the first instance and this period may be extended from time to time.

5. The other provisions relating to the Committee as contained in the Notification dated 9-3-1984 quoted above will remain unchanged.

ORDER

ORDERED that the Notification may be published in the Gazette of India for general information.

DR. R. N. GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & CO-OPERATON)

New Delhi, the 4th July 1985

ORDER

No. 43-28|74-LDT.—In continuation of this Ministry's Resolution No. 43-28|74-LTD dated 27-5-85 reconsituting the Central Poultry Development Advisory Council, Thakur Kamkhya Prasad Singh, Member, Rajya Sabha has been nominated as Member of the Advisory Council for the remaining term of the Council till 14-5-1988.

B. S. SARAO, Addl. Secy.

New Delhi, the 5th June 1985

RESOLUTION

No. 1-16|85-SC(T).—In view of the very special nature of the problem of shifting cultivation which is prevalent in tribal areas of 13 States and 2 Union Territories the Government of India constituted in 1976 [vide Resolution No. 19-11|75-SC(T), dated the 22nd June, 1976] a Board for Control of Shifting Cultivation to review planning and implementation of the schemes for the purpose.

2. In supersession of this Ministry's aforementioned Resolution No. 19-11|75-SC(T), dated the 22nd June, 1976 and subsequent Addendum and Corrigendum of even number dated 29-10-1976 and 6-12-1977, the membership and functions of the Board on Shifting Cultivation will be as follows :

Membership

Chairman

1. Secretary (Agriculture & Cooperation)
Ministry of Agriculture and
Rural Development

Members

2. Special Secretary & Inspector General of Forests,
Department of Forests & Wildlife

3. Additional Secretary in charge of
Soil Conservation,
Department of Agriculture & Cooperation

4. Adviser (Agriculture)
Planning Commission

5. Joint Secretary (SC) and Land
Resources Commissioner,
Department of Agriculture & Cooperation

6. Joint Secretary
in charge of Tribal Welfare,
Ministry of Home Affairs

7. Joint Secretary
Department of Rural Development

8. Planning Adviser
North Eastern Council, Shillong

9. Deputy Director General (SAE)
Indian Council of Agricultural Research

10. Director
ICAR Research Complex,
North Eastern Region, Shillong

11. Secretary (Agriculture|Forest|Soil Conservation), States|Union Territories of Arunachal Pradesh, Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Madhya Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Orissa, Tripura, Sikkim, Karnataka, Kerala and Maharashtra.
12. Development Commissioner, Hill Areas, Assam
13. Development Commissioner, Mizoram

Member-Secretary

14. Joint Commissioner (SC-F), Department of Agriculture and Cooperation

Functions

The functions of the Board will be as under :

(i) To keep under constant review the planning and preparation of schemes for the settlement of shifting cultivators.

(ii) To arrange for the execution of these schemes through the agencies of the State Government.

(iii) To remove the administrative bottlnecks hindring the progress of the schemes; and

(iv) To ensure that the areas where shifting cultivation is practised, receive the attention they deserve.

3. The Board will meet at least once in a year and may meet as often as may be decided by the Chairman.

4. The Chairman of the Board may invite to its meeting any person associated with the problem of shifting cultivation.

5. The expenditure on T.A., etc. of the members and other officers, if any, in connection with journeys to attend the meetings of the Board will be met from the sources from which their salaries are drawn.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the Ministries|Departments of the Government of India, Prime Minister's Office, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Planning Commission, all members of the Board on Shifting Cultivation, Private Secretaries to the Governors|Lt. Governors of all the States|Union Territories served by the Board on Shifting Cultivation, all Attached and Subordinate Offices of Ministry of Agriculture & Rural Development (Department of Agriculture & Cooperation).

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. S. PURI, Jt. Secy. and Land Resources Commissioner

MINISTRY OF ENERGY

New Delhi, the 2nd July 1985

ORDER

Subject : Grant of Petroleum Exploration Licence for R-71 Structure measuring the area 11.73 sq.kms. to ONGC (offshore area).

No. O-12012|1|85-ONGD4.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-rule (i) of rule 5 of the Petrol and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Oil and Natural Gas Commission, Tel Bhavan, Dehradun (herein after referred to as Commission) a Petroleum Exploration Licence to Prospect for Petroleum for four years from the date of issue of this order for R-71 Structure area measuring 11.73 sq.kms. (Bombay Offshore) the particulars of which are given in Schedule 'A' annexed hereto.

The Grant of Licence is subject to the terms and conditions mentioned below.

(a) The Exploration Licence should be in respect of Petroleum.

(b) If any minerals are found during thhe exploration work, the commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.

(c) Royalty at the rates mentioned below shall be charged.

(i) Rs. 61|- per metric tonne or such rates as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing head condensate.

(ii) In case of natural gas, at such rates as may be fixed by the Central Government from time to time.

The royalty shall be paid to the Pay & Accounts Officer, Ministry of Petroleum, New Delhi.

(d) The Commission shall, within the first 30 days of every month, furnish to the Central Government, a full proper return showing the quantity and gross value of all crude oil, casing head condensate and natural gas obtained during the proceeding month in pursuance of the licence. The return shall be in the form given in Schedule 'B' annexed hereto.

(e) The Commission shall deposit a sum of Rs. 6000|- as security as required by rule 11 of the PNG Rules, 1959.

(f) The Commission shall pay every year in advance a fee in respect of the licence calculated at the following rates for each square Kilometer or part thereof covered by the licence.

(i) Rs. 4|- for the first year of the licence;

(ii) Rs. 20|- for the second year of the licence;

(iii) Rs. 100|- for the third year of the licence;

(iv) Rs. 200|- for the fourth year of the licence;

(v) Rs. 300|- for the first and second year of renewal.

(g) The Commission shall be at liberty to determine the relinquishing of any part of the area covered by the exploration licence by giving not less than two month notice in writing to the Central Government as required by sub-rule (3) of the rule 11 of the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959.

(h) The Commission shall immediately on demand submit to Central Government confidentially a full report of the geological data of all the minerals found during the exploration of oil and natural gas and shall submit without fail every six months the results of all operations, boring and exploration to the Central Government.

(i) The Commission shall take preventive measures against the hazard of fire under sea bed and|or on the surface and shall keep such equipment, supplies and means to extinguish the fire at all times and shall pay such compensation to third party and|or Government as may be determined in case of damage due to the fire.

(j) This exploration licence shall be subject to the provisions of the Oil Fields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules 1959.

(k) The Commission shall execute a deed of the Petroleum Exploration Licence in the form applicable to offshore areas as approved by the Central Government.

(l) The Commission should render, Bathymetric, bottom Samples, Current and magnetic data collected during the drilling|exploration operations|survey to Ministry of Defence Naval Headquarters in the usual manner.

(m) The data is processed in India.

(n) Commission should ensure security of oceanographic data.

(o) a Complete set of processed data is supplied to Chief Hydrographer, Dehradun free of cost.

(p) The foreign vessels|rigs deployed undergo Naval security inspection at a major naval base by a team of specialists officers, prior to actual deployment. Eight copies of details in respect of each vessel|rig to be forwarded to NHQ six weeks before the arrival of these to facilitate deputation of Naval team.

SCHEDULE 'A'

Geographical Coordinates of R—71 Structure (offshore) measuring 11.73 sq. kms.

Points	LONG	LAT.
A.	72° 17′ 25.71″	18° 08′ 13.06″
B.	72° 18′ 46.29″	12° 08′ 44.08″
C.	72° 20′ 1.71″	18° 06′ 31.02″
D.	72° 18′ 41.14″	18° 06′ 39.18″

SCHEDULE 'B'

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas produced and value thereof.

Petroleum Exploration Licence for

Area

Month and Year

A. Crude Oil

Total No. of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purpose of petroleum exploration operation approved by the Central Government	No. of Metric tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

B. Casing head condensate

otal number of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purposes of petroleum exploration approved by Central Govt.	No. of Metric Tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

C. Natural Gas

Total number of cubic metres obtained	Number of cubic metres unavoidably lost or returned to natural reservoir	Number of cubic metres used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Government	Number of cubic metres obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

I, Shri———————————————do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the information in this return is true and correct in every particular and make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true.

By order in the name of the President of India. (Signature)

P. K. RAJAGOPALAN
Desk Officer

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 3rd July 1985

RESOLUTION

No. E-11016|3|85-Rajbhasha Niti.—In supersession of the Ministry of Labour Resolution No. E-11016|9|80-H.O., dated 28-5-1982, amended from time to time, the Government of India have decided to reconstitute the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Labour as under :—

COMPOSITION

Chairman

1. Minister of Labour

Official Members

Members

2. Secretary, Ministry of Labour
3. Secretary, Department of Official Language and Hindi Adviser to the Government of India.
4. Additional Secretary, Ministry of Labour
5. Joint Secretary, Department of Official Language
6. Director General (Labour Welfare)
7. Director General of Employment & Training
8. Director General, Factory Advice Service & Labour Institute
9. Director General (Mines Safety)
10. Director General, Employees State Insurance Corporation
11. Chief Labour Commissioner (C)
12. Central Provident Fund Commissioner

Member Secretary

13. Joint Secretary (K), Ministry of Labour

Non-Official Members

Members

14. Shri K. N. Pradhan, Member, Lok Sabha
15. Shri Ram Rattan Ram, Member, Lok Sabha
16. Shri P. K. Prajapati, Member, Rajya Sabha
17. Shri Dharam Chandra Prashant, Member Rajya Sabha
18. Two representatives of the Committee of Parliament
19. on Official Language to be nominated.
20. Dr. (Smt.) Sarojini Aggrawal, 'Abhivadan', Walda Colony, Nishatganj, Lucknow (U.P)
21. Shri Satya Narain Gupta, President, Andhra Pradesh Hindi Samiti, 3-3-188, Chappal Bazar, Hyderabad (A.P.)
22. Shri A. D. Mishra,
    878, Daryabad, Kalyan Devi,
    Allahabad (U.P.)
23. Shri Kanwal Prasad Kanwal,
    13-2-667 Dhoolpeth, Hyderabad (A.P.)
24. Shri Deepak Kumar Pathak,
    21—Irgu Road, Hills South,
    Ranchi (Bihar)
25. Shri Vijay Ranjan,
    Editor, Lok Aastha, Hindi Weekly,
    Shell Kuteer, Patna, Bihar
26. Shri Ram Niwas Pandey,
    Village Gayatri Nagar, P.O. Lohi,
    Distt. Rewa (Madhya Pradesh)
27. Shri Anubhav Bhatnagar,
    F-10, A D.D.A. Flat, Munirka,
    New Delhi
28. Shri J. P. Pandey,
    Head Master,
    Rajasthan Sewa Samiti High School,
    outside Delhi Gate,
    Ahmedabad (Gujarat)
29. Shri P. N. Bajpai,
    28, Kaka Nagar,
    New Delhi
30. Shri Diwan Dwarka Khosla,
    Nav Bharat Times, New Delhi
31. Shri Madhukar Kher,
    Writer & Journalist,
    Boodhapar, Raipur (Madhya Pradesh)
32. Shri Rahul Barpute,
    Writer & Journalist,
    Indore (Madhya Pradesh)

2. *Functions*

The functions of the Samiti will be to advise the Ministry and its Attached and Subordinate Offices on matters relating to the progressive use of Hindi for official purposes.

3. *Tenure*

The term of the Samiti will be three years from the date of its reconstitution, provided that—

(i) A Member of Parliament nominated to this Samiti shall cease to be a member of the Samiti as soon as he ceases to be a Member of Parliament.

(ii) Any mid-term vacancy shall be filled up by the concerned member's successor in office. He shall be a Member for the residual term of three years.

4. *General*

(i) The Samiti may co-opt additional members and invite experts to attend its meetings or appoint sub-committees, as may be deemed necessary.

(ii) The headquarters of the Samiti will be at New Delhi, but it may hold its meetings at any other place also.

5. *Travelling and other allowances*

The non-official members will be paid travelling and daily allowances for attending the meetings of the Samiti and the Sub-Committees of the Samiti at the rates fixed by the Government of India from time to time.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat, Comptroller and Auditor General of India Accountant General, Central Revenues and all Ministries and Departments of the Government of India and all offices of the Ministry of Labour including Autonomous and Semi autonomous Bodies.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

KARNAIL SINGH, Jt. Secy

New Delhi, the 17th July 1985

RESOLUTION

No. V.24030|1|85-WB.—The Government of India have decided to set up a Third Wage Board for the Sugar Industry to consider the question of a further revision of the Present Wage Structure in the industry. While making its recommendations, the Wage Board shall keep in view the following :—

(a) To determine the categories of employees (Manual, clerical, supervisory etc.) who should be brought within the scope of the proposed wage fixation;

(b) To work out a wage structure based on he principles of fair wages as set forth in the report of the Committee on Fair Wages; (This includes capacity of the industry to pay).

Explanation

In evolving a wage structure, the Board shall in addition to the considerations relating to fair wages, also take into account :—

(i) the needs of the industry in a developing economy;

(ii) the special features of the industry including the aspects relating to exports;

(iii) the requirements of social justice;

(iv) the need for adjusting wage differentials in such a manner as to provide incentives to workers for advancing their skill;

(v) the possibility of linking productivity with wages.

(c) the desirability of extending the system of payment by results.

Explanation :—In applying the system of payment by results the Board shall keep in view the need for fixing a minimum (fall back) Wage and also to safeguard against over-work and undue speed.

The Third Wage Board for Sugar Industry is also required to examine afresh the question of productivity as a factor for determining wages.

2. The composition of the Board shall be as follows:—

Chairman

(1) Shri Jagmohan Lal Tandon, Retired Judge of Punjab and Haryana High Court.

Members representing employers (2)

(2) Shri D. B. Kadam, M.L.A. (Representing National Federation of Cooperative Sugar Factories Ltd.). Chairman, Satara Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Kisanveernagar, Bhuing, Distt. Satara (Maharashtra).

(3) Shri O. P. Dhanuka, (Representing Indian Sugar Mills Association) Director, Riga Sugar Co. Ltd., 14, Netaji Subhas Road, Calcutta.

Members representing workers (2)

(4) Shri Chandrika Singh. (Representing Indian National Trade Union Congress) President, Indian National Sugar Mill Workers Federation, C|o Daurala Sugar Works, P.O. Daurala Distt. Meerut (U. P.).

(5) Shri Veerashwar Tiagi, (Representing Hind Mazdoor Sabha) Secretary, All India Hind Mazdoor Sabha.

3. The headquarters of the Board will be located at New Delhi. The correspondence intended for the Board shall be addressed to the Chairman, 3rd Central Wage Board for Sugar Industry, C|o Ministry of Labour, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.

4. The Wage Board is expected to submit its report within a period of one year.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

P. RAGHAVAN, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1985